

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

दिनांक-02.03.2026

RAMCHANDRA CHANDRAVANSI WELFARE TRUST,
AT-NAWADIH KALA, BISHRAMPUR, PS-BISHRAMPUR, PALAMU.

विषय:-

LAXMI CHANDRAVANSI HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTER, C/O-ISHWAR SAGAR CHANDRAVANSHI, AT-NAWADIH KALA, BISHRAMPUR, BISHRAMPUR, PALAMU भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में संबंधित भवन में कराये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, डालटनगंज से कराई गई। उनके ज्ञापांक-68 दिनांक-26.02.2026 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा। Travel Distance को संधारित रखा जायेगा।
3. किसी भी लॉबी को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित नहीं किया जाय।
4. वायरिंग व्यवस्था की जाँच भी ससमय कराई जाय। खासकर False Ceiling के उपर वायरिंग व्यवस्था में होनेवाली किसी टूट-फूट की मरम्मत अतिलम्ब कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
6. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
7. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संधारित रखा जाय।
8. भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है एवं समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. Smoke Detectors को बैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
13. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. किसी किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. संबंधित भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन को दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
17. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-28.02.2027 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, pseudonym=1dbdec274971488cb4dc37ab5e245e7,
2.5.4.20=B94e76e7a55211a8cedc5d01fc908f34b20579f87b90a96d6b7a5458ca0b0,
postalCode=834004, st=Jharkhand,
serialNumber=c2ef340d8c08af2be3efeb12fb7360caeb368d01281729c3d8961a7d6d0e1
CN=JITENDRA TIWARY